




अमियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश

भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत नये अपराध

शोपलिफ्टिंग

शोपलिफ्टिंग के गैंग को Petty आर्गनाइज्ड अपराध के तहत 7 साल की सजा हो सकती है। दुकान, मॉल इत्यादि से जान बूझकर भुगतान किए बगैर सामान ले जाने के लिए अब कड़ी सजा है। (धारा 112)



New Offence Under Bharatiya Nyaya Sanhita 2023

ORGANISED CRIME

- Contract killing [Section 111]
- Cyber-crimes [Section 111]
- Hacking (Cyber-crime)
- Hawala transaction [Section 111]
- Land grabbing
- Running any scheme to defraud several persons [Ponzi Scheme]
- Website Defacement (Cyber-crime)
- Online Matrimonial Fraud (Cyber- crime)
- Ransomware [Cyber-crime, Organized crime]
- Economic offences
- Intimidating Email (Cyber-crime)
- Internet banking Related Fraud (Cyber-crime)
- Human Trafficking for prostitution or ransom
- Cyber Bullying/Stalking/Sexting (Cyber-crimes)
- Crypto currency Related Crime (Cyber-crimes)
- Mass-marketing fraud Economic Offence

PETTY ORGANISED CRIME

- Selling of public examination question papers
- Theft form ATM [Section 111]
- Theft from vehicle, dwelling house of business premises

- Black marketing of cinema tickets (Unauthorized selling of tickets) [Section 112]
- Black marketing of match tickets (Unauthorized selling of tickets) [Section 112]
- Cargo theft [Petty Organized Crime) [Section 112]
- Credit Card skimming [Section 112]
- Pickpocketing
- Shoplifting [Section 112)
- Snatching [Section 304/ Section 112
- Unauthorized betting or gambling
- Trick Theft

OTHER CRIME

- Hiring, employing or engaging a child to commit an offence
- Hit & run Cases [Section 106]
- Terrorist acts [Section 113]
- Mob Lynching [Section 103 (2) [Section 117 (4)]
- Beggary
- Acts to defraud any bank or financial Institution or other organization/ Institution
- Acts endangering sovereignty, unity and integrity of India [*Treason/ Deshdroh*] (Section 152)
- Abetment outside India for offence committed in India (Section 48)
- Aadhar Card/Voter Card, forgery (Section 337)



आयोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश



अमियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश

भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत नये अपराध मांव लिंचिंग



यदि 5 या अधिक लोगों की भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या जातिगत, जन्म-स्थान, भाषा कारणों से की जाती है, तो उस भीड़ के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदण्ड या उम्रकैद की सजा एवं जुर्माना हो सकता है।

यदि भीड़ द्वारा इन कारणों से किसी व्यक्ति को गम्भीर चोट पहुँचती हैं तो भीड़ के प्रत्येक सदस्य को 7 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है।



अमियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत नया प्राविधान

आनलाईन
एफआईआर
(जीरो एफ आई आर)



संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना राज्य में किसी भी पुलिस स्टेशन के प्रभारी को दी जा सकती है, चाहे वह अपराध उस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में घटित हुआ हो या नहीं।

सूचना इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दी जा सकती है

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत नई प्रक्रियाएं

बलात्कार की पीड़िता

- बलात्कार की पीड़िता की मेडिकल जांच रिपोर्ट 7 दिनों के अंदर जांच अधिकारी को भेजनी होगी।
- बलात्कार पीड़िता के बयान को मोबाइल या किसी भी ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिकॉर्ड किया जा सकेगा।
- बलात्कार पीड़िता, सामूहिक बलात्कार पीड़िता, एसिड हमले की पीड़िता का बयान, जहां तक साध्य हो एक महिला मजिस्ट्रेट द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में एक पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा एक महिला की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा।

ऑनलाइन एफआईआर

- बलात्कार/सामूहिक बलात्कार सहित संज्ञेय अपराध के संबंध में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की एक सकती है।

जीरो एफआईआर

- संज्ञेय अपराध के लिए किसी भी पुलिस रुटेरेशन में एफआईआर दर्ज की जा सकेगी।

सामुदायिक सेवा

- कारागृहों पर बोझ कम करने के लिए सामुदायिक सेवा को भारतीय न्याय संहिता में पहली बार एक शास्ति के रूप में शामिल किया गया है।
- सामुदायिक सेवा का अर्थ वह कार्य है जो कोर्ट द्वारा दोष सिद्ध हुए व्यक्ति की शास्ति के रूप में पालन करने के लिए आदेशित किया जायेगा जो कि सामुदायिक हित में हो एवं जिसके एवज में अपराधी किसी भी तरह की पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा।

वीडियो मोबाइल रिकॉर्डिंग

- मोबाइल फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत एक दस्तावेज एवं दस्तावेजी साक्ष्य होगा।
- अपराध से अर्जित धन की वसूली**
- अपराध से अर्जित की गयी सम्पत्ति की वसूली के लिए पुलिस आवेदन कर सकती है। मजिस्ट्रेट उसे कुर्क और जब्त कर

सकता है और मुकदमे के नतीजे की प्रतीक्षा किए बिना जांच के दौरान ही पीड़िता को वितरित कर सकता है।

- अपराध की अर्जित सम्पत्ति सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी (सम्पत्ति की सिविल जब्ती)

अभियोजन की वापसी

- पीड़िता व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना अभियोजन वापस नहीं लिया जाएगा।

पुलिस रिपोर्ट की आपूर्ति

- पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की प्रति 14 दिनों के भीतर आरोपी और पीड़ित को निःशुल्क दी जानी है।

पुलिस जाँच

- पुलिस अधिकारी 90 दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक संचार संहित किसी भी माध्यम से सूचना देने वाले या पीड़ित व्यक्ति को उसकी प्रगति के बारे में सूचित करेगा।

फास्ट ट्रैकिंग प्रक्रियाएं

- छोटे अपराधों के लिए जहां शामिल राशि 20000 रुपये से अधिक नहीं है, वहाँ संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाया गया है।
- गवाहों से साक्ष्य मोबाइल फोन संहित अन्य ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लिया जा सकता है।
- आरोपी अदालत में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपस्थित हो सकते हैं।
- जहां परिस्थितियां किसी भी पक्ष के नियंत्रण से परे हैं, दूसरे पक्ष की आपत्तियों को सुनने के बाद और लिखित में कारणों को दर्ज करने के बाद अदालत द्वारा दो से अधिक स्थगनादेश नहीं दिया जा सकता है।
- घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जाँच, मुकदमा या निर्णय की प्रक्रिया चलाई जा सकेंगी (धारा 356 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023)



अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश

New Procedures under Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023

Rape Victim

- Medical examination should be done forthwith and medical report of victim of rape/gang-rape shall be forwarded to investigating Officer within 7 days.
- Recording of statement of rape victim' shall be through any audio video electronic means including mobile phone.
- Statement of rape victim, gang rape victim/acid attack victim shall, as far as practicable, be recorded by a woman Magistrate and in her absence by a male Magistrate in the presence of a woman.

Online FIR

- Online FIR may be filed in respect of cognizable offence including rape/gang rape.

Zero FIR

- FIR for cognizable offence can be filed in any Police station.

Community Service

- To reduce the burden on jails, community service has been included in BNS as a punishment for the first time.
- Community service shall mean the work which the Court may order a convict to perform as a punishment that benefits the community, for which he shall not be entitled to any remuneration.

Audio/Video/Mobile recording

- Video recording in mobile phone is a document and will be a documentary evidence under Bharatiya Sakhyam Adhiniyam
- Video-recordings on mobile is admissible in evidence

Civil Recovery of proceeds of Crime

- Police can apply for and Magistrate can attach and seize and effect civil recovery of proceeds of crime and distribute it to victims during investigation without waiting trial outcome.
- Unclaimed proceeds of crime will be forfeited (Civil forfeiture of assets).

Prosecution withdrawal

- No withdrawal of prosecution without opportunity of hearing to victim.

Supply of Police report

- It is mandatory to provide a copy of Police report and other documents to the accused and the victims free of cost within 14 days.

Police Investigation

- Police officer shall inform the progress of investigation within 90 days by any means including electronic communication to informant or the victim.

Fast Tracking Procedures

- Mandatory summary trial procedure for petty offences where amount involved does not exceed Rs. 20,000.
- Evidence of Witnesses can be taken by audio-video electronic means including mobile phone.
- Accused can be presented in Court through electronic audio visual means.
- Where the circumstances are beyond the control of a party, not more than two adjournments may be granted by the court after hearing the objections of the other party and for the reasons to be recorded in writing.
- Inquiry, trial or judgment in absentia of proclaimed offender [Section 356 of BNS]



आमियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश



अमियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश

भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत नये अपराध

स्नैचर और चैन
स्नैचिंग गैंग



सावधान

- स्नैचिंग (चैन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग इत्यादि) में नए BNS कानून की धारा 304 के तहत 3 साल की सजा हो सकती है।
- यदि स्नैचर किसी गैंग का सदस्य है, तो धारा 112 के तहत कम से कम 1 साल और अधिक से अधिक 7 साल तक की सजा हो सकती है।

भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत नए अपराध

संगठित अपराध

- सुपारी देकर हत्या (संगठित अपराध, / धारा 111)
- साइबर अपराध (संगठित अपराध, (धारा 111)
- हैकिंग (साइबर अपराध) संगठित अपराध (धारा 111)
- हवाला लेनदेन (संगठित अपराध) (धारा 111)
- जमीन हड्पना (संगठित अपराध) (धारा 111)
- अनेक लोगों को धोखा देने के लिए योजना चलाना (पोंजी स्कीम) (धारा 111)
- वेबसाइट विकृति (साइबर अपराध)
- ऑनलाइन वैवाहिक धोखाधड़ी (साइबर अपराध)
- रैनसंवेयर / साइबर अपराध संगठित अपराध
- आर्थिक अपराध (संगठित अपराध) (धारा 111)
- धमकाने वाला ईमेल (साइबर अपराध)
- इंटरनेट बैंकिंग संबंधित धोखाधड़ी (साइबर— अपराध)
- वेश्यावृत्ति कराने या फिरोती की मांग करने के लिए मानव तस्करी।
- साइबर के जरिये धमकी देना / पीछे पड़ना (साइबर अपराध)
- क्रिप्टोकरेंसी संबंधित अपराध (साइबर अपराध)
- बड़े पैमाने पर मार्केटिंग धोखाधड़ी (आर्थिक अपराध)

लघु संगठित अपराध पी.ओ.सी

- सार्वजनिक परीक्षा के प्रश्नपत्रों की बिक्री (धारा 112)
- एटीएम से चोरी (धारा 112)
- वाहन से चोरी (संगठित अपराध)
- सिनेमा की टिकटों की कालाबाजारी (टिकटों की अनाधिकृत बिक्री) (छोटा संगठित अपराध, (धारा 112)

- मैच टिकटों की कालाबाजारी (टिकटों की अनाधिकृत बिक्री) (छोटा संगठित अपराध, (धारा 112)
- कार्गो मालों की चोरी/छोटे संगठित अपराध, (धारा 112) क्रेडिट कार्ड स्किमिंग (छोटे संगठित अपराध) (धारा 112)
- जेब काटना (छोटे संगठित अपराध / चोरी)
- दुकान से सामान की चोरी (धारा 112)
- चैन / मोबाइल, इत्यादि छीनना (धारा 304 / धारा 112)
- अनाधिकृत सट्टेबाजी या जुआ (छोटे संगठित अपराध) (धारा 112)
- वाहन, आवास गृह या व्यावसायिक परिसर से चोरी (धारा 112)
- धोखा देकर चोरी

अन्य अपराध

- किसी बच्चे को अपराध करने के लिए भाड़े पर लेना, नियोजित करना या काम पर रखना (धारा 95)
- हिट एंड रन के मामले (धारा 106)
- आतंकवादी कृत्य (धारा 113)
- मॉब लिंचिंग / धारा 103(2), (धारा 117 (4)
- भिक्षावृत्ति
- किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य संगठन/संस्था को धोखा देने का कार्य
- भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य (देशद्रोह)
- भारत में अपराध करने के लिए भारत के बाहर से उकसाना
- आधार कार्ड / पहचान पत्र में जालसाजी (धारा 337)



अधियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश



आभियोजन निदेशालय उत्तर प्रदेश

भारतीय न्याय संहिता 2023

के तहत
नये अपराध

साइबर क्राइम



[Cyber Crimes (Phishing, Vishing, Hacking इत्यादि)]

संगठित अपराधों में शामिल अपराधी एवं उनके सहयोगियों
को कम से कम 5 साल की कैद और अधिकतम उम्रकैद (Life
Imprisonment) एवं साथ ही कम से कम 5 लाख रुपये का
जुर्माना। (धारा 111)



आमियोजन निदेशालय

उत्तर प्रदेश

भारतीय न्याय

संहिता 2023

के तहत नये अपराध

संगठित अपराध



बीएनएस (धारा 111) के तहत अपराधों में शामिल अपराधी एवं उनके सहयोगियों को कम से कम 5 साल की कैद और अधिकतम मृत्युदण्ड एवं कम से कम 5 लाख रुपये जुर्माना

- अपहरण
- डकैती
- वाहन चोरी
- जबरदस्ती वसूली
- भूमि हथियाना
- आर्थिक अपराध
- साईबर अपराध
- अनुबंध हत्या
- व्यक्तियों, नशीले पदार्थों एवं हथियारों की तस्करी
- वेश्यावृत्ति के लिये मानव तस्करी



ORGANISED CRIME

NOW DEFINED IN
NEW CRIMINAL LAWS

OFFENCES
CARRIED OUT
ON BEHALF OF
CRIME
SYNDICATE



PROVISIONS FOR
TRIAL IN ABSENTIA
AND PROPERTY
ATTACHMENT

PENALTY FOR CRIME
BY MEMBER OF A
GANG DIFFERS FROM
THAT BY AN
INDIVIDUAL

अधियोजन निदेशालय
उत्तर प्रदेश

THEFT, PICKPOCKETING, SHOPLIFTING,
SELLING OF PUBLIC EXAM PAPERS, ETC
INCLUDED IN PETTY ORGANISED CRIMES



DIGITAL INDIA

DIGITISATION IN NEW CRIMINAL LAWS

FIR TO JUDGEMENT - EVERYTHING WILL BE DIGITISED



DIGITAL RECORDS WILL BE CONSIDERED AS DOCUMENTARY EVIDENCE

POLICE SEARCH AND SEIZURE TO BE VIDEOGRAPHED

अभियोजन निदेशालय
उत्तर प्रदेश

USE OF TECHNOLOGY FOR A MODERNISED & EFFECTIVE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM



WOMEN SAFETY

WOMEN SAFETY IN NEW CRIMINAL LAWS

E-FIR
FACILITIES FOR
WOMEN TO FILE
ONLINE FIR



STATEMENT OF
ASSAULT VICTIM TO BE
VIDEO RECORDED IN
PRESENCE OF FAMILY
MEMBERS

DEATH PENALTY FOR
RAPE OF MINOR AND
LIFE IMPRISONMENT
FOR GANG RAPE

अभियोजन निदेशालय
उत्तर प्रदेश

FACILITATING JUSTICE TO WOMEN



भारतीय न्याय संहिता, 2023



जेलों पर बोझ कम करने के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 में पहली बार सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा शुरू की गयी है

सामुदायिक सेवा

निम्नलिखित अपराधों के मामले में सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में प्रदान किया जा सकता है :

धारा 202: लोकसेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से व्यापार में लगा है।

धारा 209: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84 के अधीन किसी उद्घोषणा के जवाब में गैर हाजिरी।

धारा 226: विधिविरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए आत्महत्या करने का प्रयत्न।

धारा 303(2): चोरी के ऐसे मामलों में जहां चोरी की गई संपत्ति के अधीन परंतु का मूल्य पांच हजार रुपये से कम है और किसी व्यक्ति को पहली बार दोषी ठहराया गया हो।

धारा 355: मत व्यक्ति द्वारा लोकस्थान में अवचार

धारा 356: मानवानि



सामुदायिक सेवा का अर्थ ऐसे कार्य से है जिसे न्यायालय द्वारा समुदाय के हित के लिए किसी दोषी व्यक्ति को सजा के रूप में देने का आदेश दिया जाता है।




आभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

ਪੀਡਿਤ ਕੇਨਿਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਏ

पीड़ितों को सशक्त कर, न्याय सुनिश्चित करना



पीड़ितों को अभृतपूर्व अधिकार और अवसर प्रदान करते हुए, कानून में सुधार किया गया है

- विवेचना व न्यायालय में पीड़ित का बयान दूरस्थ स्थान से वीडियो कानेक्रेसिंग के माध्यम से किया जाना (धारा 176,254)
 - केस वापस लेने से पहले पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा (धारा 360)
 - प्रत्येक राज्य सरकार पीड़ित प्रतिकर योजना बनाएगी (धारा 396)
 - सभी अस्पताल (चाहे सार्वजनिक हों या निजी) यौन अपराधों के पीड़ितों को मुफ्त प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करेंगे (धारा 397)




अभियोजन निटेशालय, उत्तर प्रदेश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

ਪੀਡਿਤ ਕੇਨਿਟਿਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਏ

पीड़ितों को सशक्त कर, न्याय सुनिश्चित करना



पीड़ितों को अभूतपूर्व अधिकार और अवसर प्रदान करते हुए, कानून में सुधार किया गया है।

- पीड़ितों को एफआईआर की निशुल्क प्रति प्रदान करना (धारा 173) और पीड़ितों को जांच और परीक्षण की प्रगति के बारे में सूचित करना अनिवार्य।
 - शून्य-एफआईआर के संस्थागतकरण और ई-एफआईआर की शुरूआत से पहुंच में वृद्धि हुयी है, जिससे पीड़ितों को अपराध घटना स्थल की परवाह किए बिना कहीं भी अपराध की रिपोर्ट करने की अनुमति मिलती है (धारा 173)
 - यौन अपराध और पोकसो अधिनियम, 2012 के मामलों की जांच सूचना दर्ज करने की तारीख से दो महीने के भीतर परी की जाएगी (धारा 193)



भारतीय न्याय संहिता - 2023

साइबर अपराध

- विशेष रूप से किसी महिला की सहमति के बिना उसके निजी कृत्यों की तर्कीरें खींचना, तर्कीर खींचने हेतु उकसाना या प्रकाशित करना दंडनीय है
(धारा 77)



- अश्लील सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन और प्रसारण (धारा 294)

- भौतिक और साइबर दोनों रूपों में पीछा करने का अपराध दंडनीय है (धारा 78)
- पासवर्ड चोरी, फर्जी वेबसाइटों का निर्माण और साइबर धोखाधड़ी के अपराध को दंडनीय बनाता है (धारा 111,318)

- ईमेल स्पूफिंग और ऑनलाइन जालसाजी जैसे अपराध दंडनीय है
(धारा 111,336)